| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व ता… अहकाम ज… इस हुक्म … तामील में ज… |
|---|---|---|
| | 29/2018<br>रमेश चंद V/S बाबूलाल | |
| 7/12/2020 | पत्रावली पेश हुई वकील उभयपक्ष बहस सुनी गई पत्रावली वास्ते निर्णय दिनांक 16/12/2020 को पेश हो।<br><br>अतिरिक्त संभागीय आयुक्त<br>जयपुर | |
| 16-12-20 | पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। P.O. अवकाश पर है। अतः पत्रावली वास्ते निर्णय समक्ष P.O. साहब दिनांक 23/12/20 को पेश हो। | |
| 23.12.20 | पत्रावली पेश हुई । उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण द्वारा पक्षकारान के मध्य हुए राजीनामे के आधार पर अपील का निस्तारित करने का निवेदन किया गया । अपीलांट द्वारा यह अपील उपखण्ड अधिकारी कठूमर के आदेश दिनांक 25.6.2018 जिसमें उनके द्वारा विवादित आराजियात खसरा नम्बर 88 व 89 वाके ग्राम दारोदा की पत्थरगढी करने के संबंध में दिये गये आदेश के खिलाफ पेश की गई है । उक्त खसरा नंम्बरान के संबंध में पक्षकारान के मध्य हुआ राजीनामा न्यायालय में पेश किया गया है, जिसमें अंकित किया गया है कि ''आपसी सहमति से खसरा नम्बर 88 की पूर्व दिशा की ओर तथा खसरा नम्बर 87 की पश्चिम दिशा की ओर पत्थरगढी की कार्यवाही पूर्ण की जा चुकी है तथा पक्षकारान के मध्य इस संबंध में कोई विवाद नहीं है । इसके अलावा खसरा नं. 89 की पत्थरगढी की जाने हेतु रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 बाबूलाल स्वतंत्र है।'' उक्त राजीनामे के आधार पर अपीलांट की अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर उपखण्ड अधिकारी कठूमर द्वारा विवादित आराजी खसरा नं. 88 के संबंध में पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 25.6.18 निरस्त किया जाता है तथा आराजी खसरा नं. 89 के संबंध में दिया गया आदेश यथावत रखा जाता है अर्थात् विवादित आराजी खसरा नं.89 वाके ग्राम दारोदा की पक्षकारान की उपस्थित में नियमानुसार पत्थरगढी कराने का आदेश यथावत रखा जाता है ।<br><br>अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड निर्णय की प्रति के साथ पालनार्थ लौटाया जावे । इस न्यायालय की पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद पूर्ति लेख भण्डार हो ।<br><br>अति. संभागीय आयुक्त<br>जयपुर | |

# न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त महोदय,

# जयपुर महानगर, जयपुर

अपील संख्याः– 29 / 2018

रमेश चन्द शर्मा पुत्र स्व. श्री रेवतीलाल शर्मा, उम्र 83 वर्ष, जाति ब्राह्मण, निवासी– ग्राम दारोदा, तहसील कठूमर, जिला अलवर, राज.।

........ ..... अपीलान्ट

**बनाम**

1. बाबूलाल पुत्र स्व. श्री रेवती लाल शर्मा, उम्र लगभग 78 वर्ष, जाति ब्राह्मण, निवासी– ग्राम दारोदा, तहसील कठूमर, जिला अलवर, राज.
2. उपखण्ड अधिकारी कठूमर जिला अलवर, राज.।

............रेस्पोडेन्ट्स

**अपील अन्तर्गत विरूद्ध आदेश दिनांकित 25.06.2018 उनवानी प्रकरण बाबूलाल बनाम रमेश चन्द न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कठूमर जिला अलवर को विधि द्वारा वर्जित होने के कारण निरस्त किये जाने बाबत।**

महोदय,

अपीलान्ट की ओर से अपील निम्न प्रकार से प्रस्तुत है :–

**प्रकरण के संक्षप्ति तथ्य –**

यह कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा एक नियमित राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 183, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत बाबत दखलयावी/कब्जा वापसी हेतु रेस्पोडेन्ट संख्या 2 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कठूमर के समक्ष प्रस्तुत किया उक्त वाद के विचारणाधीन रहने के दौरान ही रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा एक आवेदन अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के तहत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कठूमर के समक्ष दिनांक 25.06.2018 को पेश किया जिसे उपखण्ड अधिकारी महोदय द्वारा दिनांक 25.06.2018 को ही स्वीकार फरमाते हुये विधि द्वारा वर्जित आलौच्य आदेश पारित कर दिया जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा उक्त आदेश